



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : Plex/Cir/459

दिनांक: 16.09.2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के अनुच्छेद 2.93 में संशोधन के संबंध में टिप्पणियाँ/सुझाव आमंत्रित करना – उत्पत्ति के नियम (गैर-वरीयता प्राप्त)

संदर्भ : व्यापार सूचना संख्या 27/2026-27 दिनांक 14 सितंबर 2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि डीजीएफटी ने उपरोक्त व्यापार सूचना जारी की है जिसमें **उत्पत्ति नियमों (गैर-वरीयता) से संबंधित प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी), 2023 के पैरा 2.93** में प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणियाँ, सुझाव और इनपुट आमंत्रित किए गए हैं।

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य निर्यात और आयात दोनों के लिए उत्पत्ति के नियमों (गैर-वरीयता प्राप्त) को व्यापक रूप से निर्धारित करना है।

संशोधन के मसौदे में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान शामिल हैं:

- निर्यात के लिए वस्तुओं की गैर-वरीयता प्राप्त उत्पत्ति निर्धारित करने के नियम;
- निर्यात उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त आयातित सामग्रियों का उपचार;
- ई-सीओओ प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैर-वरीयता प्राप्त मूल प्रमाण पत्र जारी करना;
- स्टेटस होल्डर्स के रूप में पात्र निर्माता निर्यातकों द्वारा स्व-प्रमाणन;
- बैक-टू-बैक गैर-वरीयता प्राप्त मूल प्रमाण पत्र जारी करना; और
- आयात पर लागू होने वाले उत्पत्ति के नियम (गैर-वरीयता वाले)।

इस संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे **व्यापार सूचना के अनुलग्नक-1 में दिए गए सार्वजनिक सूचना के मसौदे का अध्ययन करें और अपनी टिप्पणियाँ, सुझाव और विशिष्ट इनपुट प्रदान करें**, विशेष रूप से प्लास्टिक उद्योग के दृष्टिकोण से किसी भी व्यावहारिक कठिनाइयों, परिचालन संबंधी प्रभावों या स्पष्टीकरण/संशोधन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर।

यहां से डाउनलोड करें : https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260916112046.pdf

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियाँ/सुझाव सीधे निम्नलिखित ईमेल पते पर **25 सितंबर 2026** को या उससे पहले भेजें : ramesh.dr@nic.in (श्री दरिपेल्ली रमेश, उप महानिदेशक) और इसकी एक प्रति bharti@plexconcil.org पर भी भेजें। ईमेल के विषय में " **प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के पैरा 2.93 में संशोधन के मसौदे पर टिप्पणियाँ - उत्पत्ति के नियम (गैर-वरीयता)**" का उल्लेख करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य प्रदान करें।

हार्दिक सम्मान के साथ,

भारती परवे,

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति,

प्लेक्सकौन्सिल